न्यायालय पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बहराइच

उपस्थित–सुनील प्रसाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O. Code UP 6414)

दाण्डिक निगरानी संख्या–489/2025

UPBH010080492025

इन्द्रप्रताप आयु 48 वर्ष पुत्र मुक्ता प्रसाद,
निवासी सरकाही, थाना विशेश्वरगंज, जिला बहराइच।

.............**निगरानीकर्ता।**

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच
2– विजय प्रकाश उर्फ राधेश्याम पुत्र देवमणि
3– देवमणि पुत्र पचरननाथ,
निवासीगण सरकाही, थाना विशेश्वरगंज, जिला बहराइच।

.............**उत्तरदातागण।**

निर्णय

(1) प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–438/440 बी०एन०एस०एस०, मुकदमा संख्या 3547/2025, इन्द्रप्रताप बनाम विजय प्रकाश उर्फ राधेश्याम आदि में न्यायालय अपर सिविल जज (प्र०खं०)/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में पारित आदेश दिनांकित 04.10.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। यह निगरानी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से स्थानान्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

(2) निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में किये गए कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विद्वान अवर न्यायालय विहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में असफल रहा है। चूंकि अपराध के न्यायालय से होने के स्पष्ट कथन के पश्चात यह प्रकरण साक्ष्य संकलन एवं गिरफ्तारी का था इसलिए सर्च अरेस्ट का यह वाद कतई परिवाद में परिवर्तित नहीं होना चाहिए था अतः आदेश स्पष्टतः इलीगल तथा इर्रेगुलर है। आदेश अवर न्यायालय इमप्रोपर है। पुनरीक्षण आदेश दिनांक 04.10.2025 से निर्धारित समय सीमान्तर्गत है। आदेश विद्वान अवर न्यायालय दिनांकित 04.10.2025 निरस्त करके प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने का आदेश/निर्देश दिये जाने की याचना की गयी है।

(3) निगरानीकर्ता द्वारा अपने निगरानी के कथन के समर्थन में सूची ब–5/1 के माध्यम से नकल आदेश दिनांकित 04.10.2025 कागज संख्या ब–5/3 व छायाप्रति आधारकार्ड कागज संख्या ब–5/4 दाखिल किया गया है।

(4) प्रत्यर्थी संख्या 01 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

Digitally signed by Sunil Prasad
Date: 2026.05.12 11:55:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(फौजदारी) द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए इस आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने का तर्क प्रस्तुत किया गया है।

(5) प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

(6) प्रत्यर्थी संख्या 02 व 03 के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा प्रस्तुत बहस/तर्कों के प्रकाश में निगरानी व तलविदा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

(7) पुनरीक्षण न्यायालय को पुनरीक्षण के निस्तारण में विधिक रुप से इस तथ्य पर विचार करना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण तथ्य, क्षेत्राधिकार, लोक तथा अनियमितता प्रयोग कर पारित किया गया है। यदि पारित आदेश में उक्त विधिक त्रुटि स्पष्ट होती है तब भी उन परिस्थितियों में पुनरीक्षण न्यायालय पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है।

(8) प्रस्तुत प्रकरण के संदर्भ में माननीय न्यायालय की अन्य निर्णयज विधियों का उल्लेख किया जाना उचित होगा–

(i) **अमित कपूर बनाम रमेश चन्देर व अन्य 2012(3) जे०आई०सी० 772 (एस०सी०)** में यह अवधारित किया गया है कि पुनरीक्षण सम्बन्धित प्रावधान का उद्देश्य पेटेन्ट त्रुटि या अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटियों को सुधारने का है। न्यायालयों को उन उद्देश्यों की जांच नहीं करनी चाहिए, जो देखने से ही सावधानीपूर्वक विचार के पश्चात पारित किये गये प्रतीत होते हो। पुनरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का प्रयोग, उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहां पर आलोच्य आदेश में गम्भीर त्रुटि हो या वह विधि विरूद्ध पारित किये गये हो अथवा जहां बिना साक्ष्य के निष्कर्ष निकाला गया हो या तात्विक साक्ष्यों की अनदेखी कर पारित किया गया हो अथवा न्यायिक विवेक का उपयोग मनमाने ढंग से या साक्ष्यों के विपरीत किया गया हो। प्रत्येक मामले का निर्धारण उसके गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए। विधि का एक अन्य सुस्थापित सिद्धान्त यह भी है कि पुनरीक्षण सम्बन्धी क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध अत्यन्त सीमित है तथा इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** की पूर्ण पीठ ने विधि व्यवस्था **फादर थामस बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य 2011 (1) A D J 333** में यह निर्णय दिया गया "धारा 156(3) द०प्र०सं० के तहत पारित आदेश एक अन्तरिम आदेश है और ऐसे आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का उपचार द०प्र०सं० की धारा 397 की उपधारा 2 के तहत वर्जित है।" उपरोक्त निर्णय का अनुसरण और स्पष्टीकरण **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद** की एक अन्य पूर्ण पीठ ने **जगन्नाथ वर्मा एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य AIR 2014 ALL. 214** के मामले में, इस सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया:–

(a) इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष फादर थामस मामले में विवाद यह था कि क्या किसी संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित मामले में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने का निर्देश, उस व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के योग्य है जिस पर आदेश करने का संदेह है और जिसके विरूद्ध न तो संज्ञान लिया गया है और न ही कोई प्रक्रिया जारी की गयी है। ऐसे आदेश को अन्तरिम प्रकृति का माना गया और इसलिए धारा 397(2) द०प्र०सं० के अन्तर्गत निषेध लागू होता है।

(b) मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 156(3) द०प्र०सं० के अन्तर्गत पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और जांच करने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश अन्तरिम आदेश नहीं है। ऐसा आदेश पुनरीक्षण के योग्य है।

(c) धारा 397 द०प्र०सं० के तहत पुनरीक्षण की कार्यवाही में, सम्भावित आरोपी या, जैसा भी मामला हो वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का संदेह है, अपराधी पुनरीक्षण में निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर पाने का हकदार है।

(9) विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय यह मत प्रकट किया गया कि *'प्रार्थी तथा विपक्षीगण भली–भांति एक दूसरे से परिचित हैं। प्रार्थी व विपक्षीगण एक दूसरे को जानते, पहचानते हैं तथा सभी तथ्य प्रार्थी के संज्ञान में है। प्रार्थी सभी तथ्यों को स्वयं साबित कर सकता है। प्रार्थी को विपक्षी व गवाहान की बखूबी जानकारी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मामले की जांच स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने से भी न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। साथ ही समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में प्रत्येक प्रार्थना पत्र 173(4) बी०एन०एस०एस० में विवेचना आदेश किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि न्यायालय समुचित पाता है तो उसे परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है। विधि व्यवस्था* ***2001 (44) ए०एल०आर० पृष्ठ 558 रामबाबू गुप्ता बनाम राज्य*** *में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अवधारित किया है कि मजिस्ट्रेट को धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का अधिकार है।* ***माननीय उच्चतम न्यायालय*** *द्वारा* ***प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 (6) एस०सी०सी० 287*** *में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करते समय न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल प्रार्थना पत्र में संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का उल्लेख करने मात्र से मजिस्ट्रेट न्यायालय को यह बाध्यता नहीं है कि वह प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करे।* ***माननीय उच्च न्यायालय*** *द्वारा* ***सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2008 (1) ए०सी०आर० 179 इलाहाबाद*** *में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के प्रकाश में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाना उचित है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में एवं उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।"* तद्नुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, थाने की आख्या, वाद की प्रकृति एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि–व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये उचित आदेश पारित किया गया है।

(10) यह मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०/156(3) द०प्र०सं० को मुकदमा पंजीकृत कराये जाने, उसे परिवाद में दर्ज कर स्वयं जांच किए जाने अथवा उसे निरस्त करने का आदेश पारित कर सकता है। हस्तगत मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के

रूप में पंजीकृत किया गया है।

(11) अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था में अवधारित सिद्धान्तों के आलोक व विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्यक अवलोकनोपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित करते समय अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि आलोच्य आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है।

(12) अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह मत है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 04.10.2025 पारित करते समय कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है और उक्त आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश एक विधिपूर्ण आदेश है एवं उसकी पुष्टि की जाती है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1– वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–489/2025, इन्द्रप्रताप बनाम सरकार आदि, निरस्त किया जाता है।

2– विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (प्र०खं०)/ए०सी०जे०एम०, बहराइच द्वारा मुकदमा संख्या 3547/2025, इन्दप्रताप बनाम विजय प्रकाश उर्फ राधेश्याम आदि में पारित आदेश दिनांकित 04.10.2025, पुष्ट किया जाता है।

3– इस निर्णय व आदेश की एक प्रति मय तलविदा पत्रावली विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.05.2026 को पेश हो।

4– बाद आवश्यक कार्यवाही, निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील प्रसाद)
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बहराइच।
JO Code No. UP6414

दिनांकः 12.05.2026

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील प्रसाद)
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बहराइच।
JO Code No. UP6414

दिनांकः 12.05.2026